अंतरिम तिथि 27.12.2022

प्रार्थीया सहित श्री दिलीप यादव अधिवक्ता उपस्थित होकर आज दिनांक को प्रकरण पेशी में लिये जाने का निवेदन किया बाद विचार प्रकरण पेशी में लिया गया।

प्रार्थीया सहित श्री दिलीप अधिवक्ता उपस्थित।

विपक्षी/गण सहित श्री के0एल0 पाटीदार अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जिसे प्रकरण में संलग्न किया गया।

प्रकरण विपक्षी की उपस्थिति एवं जवाब हेतु नियत है।

प्रकरण में प्रार्थीया अधिवक्ता ने राजिनामा आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है।

उभयपक्षों ने अपने समाज के रिवाज अनुसर न्यायालय के बाहर फारखती समाज के नियमों अनुसार कर ली है।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से निवेदन किया की प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जावे। बाद विचार निवेदन स्वीकार कर प्रकरण लोक अदालत में रखा गया।

प्रकरण लोक अदालत में उपस्थिति हेतु दिनांक 11.02.2023 को पेश हो।

Sakshi
27.12.22

(श्रीमती साक्षी प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

Deepika
Rahul
रमेशचन्द्र
गुड्डी
राजू

पुनश्चः–

उभयपक्षगण पूर्ववत उपस्थित।

इसी प्रकम पर उभयपक्ष की ओर से हस्ताक्षरित, लिखित आपसी राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया व विपक्षी ने समाज के पंचों के समक्ष अपने–अपने पिता की सहमति से राजीनामा कर लिया है और उन्होंने अलग–अलग रहने का राजीनामा किया है और अपनी स्वैच्छा से बिना किसी भय प्रलोभन के राजीनामा किया है। प्रार्थीया व विपक्षी ने जाति रिवाज अनुसार सामाजिक रूप से एक दूसरे को फारखती दे दी है। अतः उभयपक्ष की ओर से राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी के विरूद्ध धारा 12 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। उभयपक्ष ने बिना किसी डर, दबाव के सामाजिक रिती रिवाज अनुसार आपसी राजीनामा किया है। प्रार्थीया की पहचान श्री दिलीप यादव अधिवक्ता ने की एवं विपक्षी को श्री के0एल0 पाटीदार अधिवक्ता ने पहचाना। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर विधिवत् अभिलेखागार में भेजा जावे।

(श्रीमती साक्षी प्रसाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)